

अज्ञ अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

नरसाराय पुत्र सांवलाराम जाति
कुम्हार(पजापति) निवासी लोहिडी
तहसील सिणधरी

बनाम

कुम्हाराम पुत्र सांवलाराम जाति
कुम्हार(पजापति) निवासी लोहिडी
तहसील सिणधरी

मुकदमा संख्या 33 / 2022

| तारीख हुकम | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 02.12.2022 | <p>यह वाद वादी की ओर से वकील श्री भंवरलाल सारण द्वारा अन्तर्गत धारा 53.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी के सम्मन तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादी वहन करेगा। वकील वादी को प्रतिवादी के सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादी की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 30.12.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर SDO सिणधरी</p> | |
| 30.12.22 | <p>वादी वकील एच.ए. वादी वकील द्वारा प्रतिवादी को प्रतिवादी के सम्मन तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादी वहन करेगा। वकील वादी को प्रतिवादी के सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादी की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 30.12.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर SDO सिणधरी</p> | |
| 08.02.2023 | <p>वादी वकील एच.ए. पत्रावली वास्ते प्रतिवादी को प्रतिवादी के सम्मन तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादी वहन करेगा। वकील वादी को प्रतिवादी के सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादी की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 08.03.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर SDO सिणधरी</p> | |
| 0-3-22 | <p>पत्रावली के तहत वादी वकील द्वारा प्रतिवादी को प्रतिवादी के सम्मन तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादी वहन करेगा। वकील वादी को प्रतिवादी के सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादी की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 09.5.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर SDO सिणधरी</p> | |

12.4.23 वादी स्वयं द्वारा उपस्थित हॉफर प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र पर परम्परागत ध्यान तत्व की
गयी

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जारिपे राजीनाम
बाद विश्वी करन पर सुना गया।

वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना-पत्र से वादी
तथा जो दोहराते हुए अभिप्रेत किया कि
वादी स्वयं प्रतिष्ठापीकृत के प्रथम गांव के मीजिन
लोगों के बीच आपसी राजीनामा हो गया है
ऐसी स्थिति में लोक अदालत की भाषना से
प्रेरित हॉफर बाद की कार्यवाही को आगे
नही चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वादी का
प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए यह बाद
दली स्तर पर जारिपे राजीनामा के विश्वी
किया जाये। वादी की परंपरा की अतिरिक्त
वकील द्वारा भी गये।

02/04/23

सिद्धांत वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र के अन्तर्गत परकाशित के प्रथम लोक
अदालत की भाषना व मीजिन परिष्कार से
प्रेरित हॉफर किये गये राजीनामा की प्रथम
नतक रणिते हुए बाद में प्रार्थना-पत्र
स्वीकार करते हुए बाद दली स्तर पर
जारिपे राजीनामा विश्वी के जारिपे किया जाय।

परम्परागत मूल सुनात हॉफर काविल
दस्तावेज एवं नम्बर से जप है।